संख्याः 1031औ0वि0/2001

प्रेषक,

श्री दया राम,
अपर सचिव,
उत्तरांचल।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

औद्योगित विकास विभाग
दिनांक 30 अप्रेल-2001

देहरादून

विषयः उत्तरांचल राज्य खनिज नीति-2001

महोदय,

उत्तरांचल राज्य में विभिन्न प्रकार के उपलब्ध खनिजों का दोहन आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि द्वारा सुनिश्चित करने, पर्यावरण का संरक्षण एवं खनिज क्षेत्रों की पुर्नस्थापना करने, खनिज भण्डारों का अधुनिक तकनीक द्वारा विस्तृत अन्वेषण का कार्य करने तथा खनिजों के दोहन एवं चुगान के कार्यो में माफियाओं के एकाधिकार को समाप्त करने हेतु शासन द्वारा उत्तरांचल राज्य खनिज नीति-2001 प्रख्यापित की गयी है। अतः उत्तरांचल राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति एवं मानव संसाधनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्णयों को चरणबद्ध व समयबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

मुख्य खनिजः

मुख्य खनिजों का विकास एवं विनिमय खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमय) अधिनियम-1957 की धारों एवं खनिज परिहार नियमावली-1960 के प्रविधानों के अन्तर्गत किया जाता है। उक्त अधिनियम व नियमावली भारत-सरकार द्वारा प्रवृत्त की गई है। उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग-ए एवं बी में स्पेसिफाइड मिनरल्स अंकित है, जिसको रिकोनेइसंस परमिट/पी0एल0/एम0एल0 पर स्वीकृत करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा भारत-सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। अन्य मुख्य खनिज, जो उक्त अधिनियम के द्वितीय अनुसूची में अंकित है, को रिकोनइंसस/पी0एल0/एम0एल0 पर स्वीकृत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत-सरकार से पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रदेश के अन्तर्गत सतही एवं भूगर्भ में पाये जाने वाले खनिज प्रदेश की सम्पत्ति होती है तथा सतही अधिकार प्रदेश में निहित है, इसलिए खनिज देय रायल्टी प्रदेश सरकार द्वारा ही वसूल की जायेगी।

मुख्य खनिजों के सुनियोजित विकास के लिए निम्नलिखित् कार्यवाही की जायेगी:-

1. शासन द्वारा सचिव, औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया जायेगा। कार्यकारी दल द्वारा मुख्य खनिजों के खनन् में अपनायी जा रही तकनीक, उनका पर्यावरण पर प्रभाव तथा खनन से सम्बन्धित प्रचलित कार्यप्रणाली को व्यवहारिक बनाने के सम्बन्ध में उपाय एवं सुझाव तैयार कराये जायेंगें। कार्यकारी दल के गठन का मुख्य उद्देश्य भारत-सरकार को मुख्य खनिजों के खनन् से सम्बन्धित खन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 के सम्बन्ध में सुझाव देने का भी होगा।
2. मुख्य खनिजों के खनन् हेतु निजी क्षेत्र के ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिनके पास यह कार्य करने हेतु पर्याप्त पूंजी एवं आधुनिक तकनीक उपलब्ध हो।

3. खनिज युक्त क्षेत्रों में अवस्थापना की सुविधा उपलब्ध कराते हुए राज्य सरकार द्वारा खनिज स्टेट स्थापित किये जायेंगे।

4. खनिज विकास एवं अन्वेषण कार्यों के लिए खनिज विकास निधि की स्थापना की जायेगी। मुख्य खनिजों के खनन् से प्राप्त रायल्टी का 5 प्रतिशत इस निधि में जमा किया जायेगा।

5. खनिज के परिहार, खनिज पर आधारित उद्योग तथा खनिज सम्बन्धी अन्वेषण कार्य को सुगम बनाने हेतु खनिज निदेशालय में एकल मेज व्यवस्था (सिंगल विंडो सिस्टम) की स्थापना की जायेगी।

6. निम्न श्रेणी, सीमांत श्रेणी, खनन् मलवा एवं खनिज आधारित उद्योगों के सह-उत्पादों को उपयोग में लाने का यथा सम्भव प्रयास किया जायेगा।

उप-खनिज:

वर्तमान में वन क्षेत्रों के बाहर उपखनिजों का खनन/चुगान का कार्य मुख्य रूप से निजी पट्टाधारकों के द्वारा ही किया जा रहा है। ऐसा अनुभव किया गया है कि इस प्रक्रिया के अन्तर्गत धीरे-धीरे खनन् एवं चुगान आदि कार्यों में एकाधिकार बढ़ता जा रहा है। इस प्रक्रिया पर अंकुश लगाने के लिए तथा उपखनिजों का दोहन आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि द्वारा करने हेतु उपखनिजोंके खनन् व चुगान का कार्य शासकीय नियमों या विभागों द्वारा ही कराया जाये।

वन क्षेत्रों में वनों के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए खनिजों के खनन् एवं चुगान का कार्य उत्तरांचल वन विकास निगम के माध्यम से कराया जायेगा। निगम द्वारा यह कार्य स्वयं किया जायेगा तथा किसी को सबलेट नहीं किया जायेगा।

वन क्षेत्र के बाहर सिविल क्षेत्रों में उप-खनिजों के खनन् एवं चुगान का कार्य सरकारी निगमों/सरकारी विभागों/कानूनी निगमों द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु इन संस्थाओं को आयोजनेत्तर पक्ष में कोइ भी अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी तथा उनके द्वारा कोई अतिरिक्त दायित्व भी सृजित नहीं किया जायेगा। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थति में सरकारी निगमों एवं शासकीय विभागों द्वारा उपखनिज के खनन्/चुगान के कार्यों को निष्पादित करने में असमर्थता, व्यक्त की जाती है या वे शासन द्वारा इस कार्य में अक्षम पाये जाते हैं, तो इन परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप यह कार्य निजी क्षेत्र के व्यक्तियों को पट्टे के आधार पर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जायेगा:-

1. सर्वप्रथम छोटे आकार के लाट्स बनाये जायेंगे।
2. किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक लाट् का पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. पट्टा हेतु जनपद के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पट्टे हेतु आवेदन करने वाला व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का न हो। निवास एवं चरित्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र जिला प्रशासन से प्राप्त किया जायेगा।

मैदानी क्षेत्र, विकासनगर, देहरादून, डोईवाला, ऋषिकेश, हल्द्वानी, उधमसिंहनगर, हरिद्वार को छोड़कर, शेष पर्वतीय क्षेत्रों में, जिलाधिकारियों को निम्न अधिकार दिये जायें:-

1. निजी भवनों के निर्माण हेतु आपश्यकतानुसार स्थानीय लोगों को निर्धारित दर पर नि:शुल्क अधिकतम् 150 घनमीटर तक बोल्डर, बजरी, रेत आदि का परमिट दिया जायेगा।

उप खनिजों की रायल्टी के सम्बन्ध में सम्प्रति सामान्य आंकलन के आधार पर वर्तमान में प्रचलित दरों में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी। रायल्टी का अंतिम रूप से निर्धारण विभिन्न बिन्दुओं पर विचारोपरांत तकनीकी दृष्टिकोण से प्रशासनिक दृष्टिकोण से, एवं राजस्व हित को देखते हुए किया जायेगा। और तदनुसार निर्णयोपरांत शासनादेश शीघ्र ही निर्गत कर दिया जायेगा। वन विकास निगम एवं अन्य सरकारी विभाग/निगम, जो उपखनिजों के खनन् के कार्य के लिए अधिकृत होंगें, वे प्राप्त राजस्व की सूचना हर माह खनिज निदेशालय को उपलब्ध करायेंगें। प्रश्नगत् निगम/विभाग रायल्टी पर 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज प्राप्त करने के अधिकारी होंगें।

उप खनिजों के खनन् से प्राप्त राजस्व का 5 प्रतिशत धनराधि को खनिज निधि में इस उद्देश्य से रखा जायेगा, जिसका उपयोग वन खनिजों के खनन् क्षेत्रों में भू-भाग पुर्नस्थापना हेतु किया जायेगा।

उप खनिजों के चुगान/खनन् की संक्रियायें उत्तरांचल उपखनिज (परिहार) नियमावली-2001 के प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेंगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें, और कृत-कार्यवाही से समय-समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(दया राम)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या 1031/औ0वि0/2001 तद्दिनांकितः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सभी सरकारी निगमों के प्रबन्ध निदेशकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिजकम्र विभाग, उत्तरांचल।
3. नोडल अधिकारी/उप-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून।
4. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
5. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(दया राम)
अपर सचिव